

पत्रांक- यो०मो०-03-कार्य-10-09/2025- 393

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेलपथ, पटना।

पटना, दिनांक : 27.02.2025

विषय : प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में जमुई जिलांतर्गत वरनार जलाशय योजना का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 2579.3785 करोड़ रुपये (दो हजार पाँच सौ उनासी करोड़ सैंतीस लाख पचासी हजार रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. योजना की राशि निम्नलिखित शीर्षों पर भारित होगा :-

(i) मुख्य शीर्ष-4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्यशीर्ष -80- सामान्य, लघु शीर्ष-051-निर्माण, मांग संख्या-49, उपशीर्ष -0105- सिंचाई सृजन परियोजनाएँ (कार्य), विपत्र कोड- 49-4700800510105, विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य, 0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य एवं 0105.53.02 भू-अर्जन।

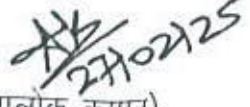
एवं

(ii) मुख्य शीर्ष -4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-49, उपशीर्ष - 0102-सिंचाई सृजन परियोजनाएँ, विपत्र कोड-49-4700807890102, विषय शीर्ष 53- मुख्य निर्माण कार्य, 0102.53.01 मुख्य निर्माण कार्य।

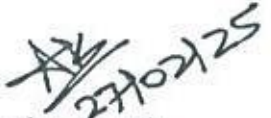
3. इस कार्य के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झांझा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, बाँसी होंगे।
4. इस कार्य के लिए नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना होंगे।
5. इस योजना कार्य के लिए राशि की निकासी कोषागार, जमुई/बाँका से की जायेगी। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
6. योजना को 30 माह में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
7. संचिका संख्या-यो०मो०-03-कार्य-10-09/2025 के पृष्ठ-59-58/प० पर लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 22.02.2025 की बैठक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है।

8. संचिका संख्या-यो०मो०-03-कार्य-10-09/2025 के पृष्ठ-13/टि० पर प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 25.02.2025 की बैठक में मद संख्या-57 के रूप में स्वीकृत है।
9. संचिका संख्या-यो०मो०-03-कार्य-10-09/2025 के पृष्ठ-15/टि० पर दिनांक 27.02.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

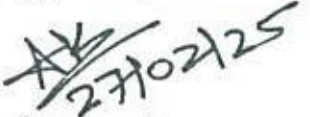
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

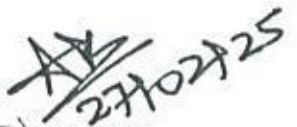
ज्ञापांक : यो०मो०-03-कार्य-10-09/2025-393 पटना, दिनांक : 27.02.2025
प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक : यो०मो०-03-कार्य-10-09/2025-393 पटना, दिनांक : 27.02.2025
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, जमुई/बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक : यो०मो०-03-कार्य-10-09/2025-393 पटना, दिनांक : 27.02.2025
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना/निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग, पटना/मुख्य अभियंता योजना एवं मॉनिटरिंग, पटना/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1, पटना/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), पटना/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई यांत्रिक अंचल, मीठापुर, पटना/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झांझा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, बौंसी/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)